राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1092/2025

सुनीता मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, अराजपत्रित, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), एवं पंचायत राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.01.2025
आदेश की दिनांक : 17.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग अधिकारी के पद पर राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बडौदामेव, जिला अलवर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उम्मेद चिकित्सालय, जोधपुर किया गया है, जो 600 कि.मी. दूर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी पीएचसी बगडमेव सीएचसी रामगढ अलवर के अधीन कार्यरत है। जबकि अपीलार्थी को पीएचसी बडौदामेव दर्शाते हुये स्थानांतरण किया गया है, जो बिना विवेक का प्रयोग किये जारी किया गया है। अपीलार्थी के स्थानांतरण पर किसी को भी पदस्थापित नहीं किया गया है। उनका तर्क है कि आलोच्य आदेश नियम 2011 के नियम 8(3) के विरूद्ध जारी किया गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी को बडौदामेव, जिला अलवर से जोधपुर लगाया गया है। आलोच्य आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित होना अंकित है और इस प्रकार हम नियम, 2011 के नियम 8(3) का उल्लंघन होना नहीं पाते हैं। अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारण से लोकहित में किया गया है। केवल मात्र बगडमेव के स्थान पर बडौदामेव अंकित किये जाने के आधार पर स्थानांतरण आदेश को त्रुटिपूर्ण होना नहीं माना जा सकता। ऐसे में केवल मात्र लिपिकीय त्रुटि के कारण स्थानांतरण आदेश को निरस्त किया जाना उचित नहीं है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवायें कहां पर ली जानी है। अधिकरण द्वारा ऐसे मामले में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील में कोई बल प्रकट नहीं होता है। अतः अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष